पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–19] रुड़की, शनिवार, दिनांक 02 जून 2018 ई0 (ज्येष्ठ 12, 1940 शक सम्वत्) [संख्या–22

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	261–263	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	437–457	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	137–140	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

सिंचाई विभाग

विज्ञप्ति/पदोन्नति

09 मार्च, 2018 ई0

संख्या 364/II(1)–2018–01(16)/2018–नियमित चयनोपरान्त श्री नवनीत कुमार शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिक) को वेतनमान, मैट्रिक्स लेवल 13क–₹ 1,31,100–2,16,600, में मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक), स्तर–II के रिक्त पद के सापेक्ष पदोन्नत करते हुए, इनकी पदस्थापना मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक), स्तर–II, देहरादून में किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री शर्मा को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 06 माह की परिवीक्षा पर रखा जाएगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

विज्ञप्ति/पदोन्नति

09 मार्च, 2018 ई0

संख्या 365/II(1)–2018–01(03)/2008–नियमित चयनोपरान्त श्री दिनेश चन्द्र सनवाल, अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक) को वेतनमान, मैट्रिक्स लेवल 13–₹ 1,23,100–2,15,900, में अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिक) के रिक्त पद के सापेक्ष पदोन्नत करते हुए, इनकी पदस्थापना अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिक), हल्द्वानी में किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री सनवाल को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 01 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाएगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

आज्ञा से,
आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव।

गृह अनुभाग–1

विज्ञप्ति/पदोन्नति

27 मार्च, 2018 ई0

संख्या 276/XX–1–2018–3(22)2003–उत्तराखण्ड प्रान्तीय पुलिस सेवा के पुलिस उपाधीक्षक, ज्येष्ठ, वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रेणी–2, वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 6,600 (यथापुनरीक्षित) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. श्री हरेन्द्र पाल सिंह
2. श्री स्वतंत्र कुमार सिंह
3. श्री मनोज कुमार कत्याल
4. सुश्री रेनु लोहानी

2. उक्तानुसार पदोन्नत अधिकारियों के स्थानान्तरण/तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किए जायेंगे।

आज्ञा से,
आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव।

पशुपालन अनुभाग–1

अधिसूचना

05 मार्च, 2018 ई0

संख्या 137/XV–1/18/7(25)07–पशुओं में संक्रामक और संसर्गजन्य रोगों के नियंत्रण और रोकथाम अधिनियम, 2009 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 27, वर्ष 2009) की धारा–6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके ग्लैण्डर्स रोगों के नियन्त्रण एवं रोकथाम हेतु राज्य में अश्ववंशीय पशुओं के अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं तथा अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्जनपदीय परिवहन को निरूद्ध करने सहित ग्लैण्डर्स रोगग्रस्त क्षेत्र जनपद देहरादून में अश्ववंशीय पशु मेले, घुड़दौड़, अश्व प्रदर्शनियाँ, खेल एवं अश्ववंशीय पशुओं को एकत्रित करने वाली समस्त गतिविधियों को निरूद्ध किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. यह अधिसूचना जारी होने की तिथि से दिनांक 31 जुलाई, 2018 तक प्रभावी होगी।

आज्ञा से,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम

सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 22 हिन्दी गजट/314–भाग 1–2018 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 02 जून 2018 ई0 (ज्येष्ठ 12, 1940 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

April 17, 2018

No. 167/UHC/XIV-a/52/Admin.A/2012--Sri Akram Ali, Civil Judge (Jr. Div.), Pithoragarh is hereby sanctioned paternity leave for 15 days *w.e.f.* 22.03.2018 to 05.04.2018, in terms of G.O. No. 819/xxxvii(7)34/2010-11, dated 31.12.2013.

NOTIFICATION

April 17, 2018

No. 168/UHC/XIV-a-52/Admin.A/2015--Ms. Jayshree Rana, Civil Judge (Jr. Div.), Vikasnagar, District Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 10 days *w.e.f.* 30.03.2018 to 08.04.2018.

NOTIFICATION

April 17, 2018

No. 169/UHC/XIV-6/Admin.A/2008--Sri Kuldeep Sharma, the then Chief Judicial Magistrate, Pithoragarh, presently posted as Chief Judicial Magistrate, Rudraprayag is hereby sanctioned earned leave for 34 days w.e.f. 05.03.2018 to 07.04.2018 with permission to suffix 08.04.2018 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

April 20, 2018

No. 170/UHC/XIV-a-42/Admin.A/2015--Sri Mohammad Arif, Judicial Magistrate, Uttarkashi is hereby sanctioned earned leave for 20 days *w.e.f.* 12.03.2018 to 31.03.2018 with permission to prefix 10.03.2018 & 11.03.2018 as holidays and suffix 01.04.2018 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

April 20, 2018

No. 171/XIV/79/Admin.A/2003--Smt. Neelam Ratra, Judge, Family court, Almora is hereby sanctioned child care leave for 27 days *w.e.f.* 12.03.2018 to 07.04.2018 with permission to prefix 10.03.2018 & 11.03.2018 as 2nd Saturday and Sunday holidays and suffix 08.04.2018 as Sunday holiday, in terms of Office Memorandum No. 11/XXVII(7)34/2011, dated 30.05.2011, issued by Government of Uttarakhand.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

PUBLIC SERVICES TRIBUNAL, UTTARAKHAND, DEHRADUN

CHARGE CERTIFICATE

May 07, 2018

No. 90/PST/Admn.IV/2013/D.Dun--Certified that *vide* Uttarakhand Government Nyay Anubhag-I Notification No. 122/XXXVI(1)/2018-18/2000 T.C.-I, Dehradun, dated 12.04.2018 and in compliance of Hon'ble High Court's letter No. 1490/XVII-113/Admin.A/2004, dated April 10, 2018, the charge of the office of the Joint Registrar (Judicial & Administration), Uttarakhand Public Services Tribunal, Dehradun has been taken over, as denoted herein, in the forenoon of 07th May, 2018.

VIBHA YADAV,
Joint Registrar (J & A).

Counter Signature
(Illegible)
Chairman,
Public Services Tribunal,
Uttarakhand, Dehradun.

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
HIGH COURT CAMPUS, NAINITAL

NOTIFICATION

May 16, 2018

No. 631/III-A-13-2009/SLSA--Sri Hemant Singh, Secretary, District Legal Services Authority, Uttarkashi is hereby sanctioned earned leave for a period of 20 days *w.e.f.* 16.04.2018 to 05.05.2018 alongwith permission to prefix 14.04.2018 and 15.04.2018 as 2nd Saturday holiday and Sunday holiday and suffix 06.05.2018 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble Executive Chairman,
Sd/-
PRASHANT JOSHI,
Member Secretary,
Uttarakhand SLSA, Nainital.

कार्यालय राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड

(विधि–अनुभाग)

15 मई, 2018 ई0

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0), राज्य कर,

देहरादून/हरिद्वार/रुड़की/रुद्रपुर/हल्द्वानी सम्भाग।

पत्रांक 782/रा0कर आयु0 उत्तरा0/रा0क0मु0/विधि–अनुभाग/18–19/देहरादून–उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग 8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 414/2018/4(120)/XXVII(8)/2018/CT–21, दिनांक 10 मई, 2018 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (चौथा संशोधन) नियम, 2018 को अधिसूचित किया गया है।

उपरोक्त अधिसूचना की प्रति इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

10 मई, 2018 ई0

संख्या 414/2018/4(120)/XXVII(8)/2018/CT–21–श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 164 सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 01, वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 को अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (चौथा संशोधन) नियम, 2018

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (चौथा संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये दिनांक 18 अप्रैल, 2018 से प्रवृत्त होंगे।

नियम 26 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे यहाँ आगे मूल नियम कहा गया है) के नियम 26 के उपनियम (1) में शब्द "बोर्ड" के स्थान पर शब्द "आयुक्त" रख दिया जायेगा;

नियम 89 का संशोधन

3. "मूल नियम" में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 89 के उपनियम (5) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
89(5) विपरीत शुल्क ढांचा के संबंध में निवेश कर प्रत्यय का प्रतिदाय निम्नलिखित फार्मूलों के अनुसार प्रदान किया जाएगा:–	89(5) विपरीत शुल्क ढांचा के मद्दे प्रतिदाय की दशा में, इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय, निम्नलिखित सूत्र के अनुसार दिया जाएगा:–
अधिकतम प्रतिदाय रकम=[(माल की विपरीत दर पूर्ति का आवर्त)×शुद्ध आईटीसी÷समायोजित कुल आवर्त]–माल के ऐसे विपरीत दर पूर्ति पर कराधेय कर।	अधिकतम प्रतिदाय की रकम={(व्युतक्रमित दर के माल और सेवाओं के प्रदाय का आवर्त)×शुद्ध आईटीसी÷समायोजित कुल आवर्त}–ऐसे व्युतक्रमित दर के माल और सेवाओं के प्रदाय पर संदेय कर।

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
स्पष्टीकरण–इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए पद "शुद्ध आईटीसी और समायोजित कुल आवर्त" से वह अर्थ समनुदेशित है, जो उपनियम (4) में उनके लिए हैं।	स्पष्टीकरण–इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए– (क) "शुद्ध आईटीसी" पद के सुसंगत अवधि के दौरान, ऐसे उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय से भिन्न, जिसके लिए उपनियम (4क) या उपनियम (4ख) या दोनों के अधीन प्रतिदाय का दावा किया गया है, इनपुटों पर उपभोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय अभिप्रेत है; और (ख) "समायोजित कुल आवर्त" पद का वही अर्थ होगा जो उपनियम (4) में उसका है।

नियम 97 में संशोधन

4. "मूल नियम" में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए वर्तमान नियम 97 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

97. उपभोक्ता कल्याण निधि–(1) उपभोक्ता कल्याण निधि को सभी प्रत्यय नियम 92 के उपनियम (5) के अधीन किए जाएंगे।	97. उपभोक्ता कल्याण निधि–(1) उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 57 में विनिर्दिष्ट अन्य धनराशियों के साथ राज्य कर और विनिधान से आय की पूरी रकम को इस निधि में जमा किया जाएगा। परन्तु एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 20 के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 54 की उपधारा (5) के अधीन अवधारित एकीकृत कर की रकम के पचास प्रतिशत के बराबर रकम को निधि में जमा किया जाएगा।
(2) कोई रकम निधि को प्रत्युत किए जाने के लिए आदेशित या उचित प्राधिकारी अपीलीय प्राधिकारी, अपीलीय अधिकरण या न्यायालय के आदेशों द्वारा किसी दावाकर्ता को संदेय के रूप में निदेशित की जा चुकी है, निधि से संदत्त की जायेगी।	(2) जहाँ उचित अधिकारी, अपील प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा, निधि में जमा की गई किसी रकम को, किसी दावाकर्ता को संदाय करने का आदेश या निदेश दिया जाता है, वहाँ उसका संदाय निधि से किया जाएगा।
(3) धारा 58 की उपधारा (1) के अधीन उपभोक्ता कल्याण निधि से रकम का कोई प्रयोग उपभोक्ता कल्याण निधि लेखा से विकलन और खाते, जिसमें रकम को प्रयोग के लिए अंतरित किया जाना है, में प्रत्यय द्वारा किया जाएगा।	(3) केंद्रीय सरकार द्वारा अनुरक्षित निधि के लेखे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा संपरीक्षा के अध्यधीन होंगे।
(4) सरकार, आदेश द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव और ऐसे अन्य सदस्यों, जिनको ठीक समझे, सहित स्थायी समिति का गठन करेगी और समिति उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ता कल्याण निधि को विकलित धन के उचित प्रयोग के लिए सिफारिश करेगी।	(4) सरकार, आदेश द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव और उतने सदस्यों के साथ, जितने वह ठीक समझे, एक स्थायी समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'समिति' कहा गया है) का गठन करेगी और समिति, निधि में जमा की गई धनराशि का उपभोक्ताओं के कल्याण हेतु उचित उपयोग के लिए सिफारिशें करेगी।
(5) समिति जब आवश्यक हो बैठक करेगी किन्तु तीन मास में एक बार से कम नहीं।	(5) (क) समिति की बैठक जब कभी आवश्यक हो, साधारणतया किसी वर्ष में चार बार होगी; (ख) समिति की बैठक ऐसे समय और स्थान पर होगी, जो समिति का अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, ठीक समझे;

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	(ग) समिति की बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा, की जाएगी; (घ) समिति की बैठक, प्रत्येक सदस्य को लिखित में कम से कम दस दिन की सूचना देने के पश्चात् बुलाई जाएगी; (ङ) समिति की बैठक की सूचना में, बैठक का स्थान, तारीख और समय विनिर्दिष्ट होगा और उसमें किए जाने वाले कामकाज का विवरण अंतर्विष्ट होगा; (च) समिति की कोई कार्यवाही तब तक विधिमान्य नहीं होगी, जब तक उसकी अध्यक्षता, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा न की जाए और उसमें कम से कम तीन अन्य सदस्य उपस्थित न हो।
(6) (कम्पनी अधिनियम 2013) 2013 का (18 या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई अभिकरण या संगठन, जो उपभोक्ता कल्याण क्रियाकलापों में तीन वर्षों से लगा हुआ है, जिसमें ग्राम या मंडल या उपभोक्ताओं के सहकारी स्तर समिति विशेषतः महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, 1947) का (14 में परिभाषित कोई उद्योग जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनुशंसित हो और पाँच वर्षों से जीव्य और उपयोगी क्रियाकलापों में लगा हुआ है, जिसके द्वारा बहुउपयोग के उत्पादों के लिए मानक चिन्ह के विरचन के महत्वपूर्ण योगदान किया गया है, या किया जाना है, सरकार या राज्य सरकार उपभोक्ता कल्याण निधि से अनुदान देने के लिए आवेदन करेगी। परन्तु यह की उपभोक्ता विधिक व्यय, जो, उनके द्वारा उपभोक्ता विवाद में शिकायतकर्ता के रूप में उपगत किए गए हों, अन्तिम निर्णय के उपरान्त, की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन कर सकता है।	(6) समिति को,– (क) किसी आवेदक से, किसी ऐसे प्राधिकारी के पास, जो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, रजिस्ट्रीकृत कराने हेतु अपेक्षा करने की शक्ति होगी; (ख) किसी आवेदक से ऐसी पुस्तिकाएँ, लेखें, दस्तावेज, लिखतें या आवेदक की अभिरक्षा और नियंत्रण में की ऐसी वस्तुओं को, जो आवेदन के उचित मूल्यांकन के लिए आवश्यक हो, उसके समक्ष या राज्य सरकार के सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष पेश करने हेतु अपेक्षा करने की शक्ति होगी; (ग) किसी आवेदक से, किसी ऐसे परिसर में, जहाँ से उपभोक्ताओं के कल्याण हेतु क्रियाकलापों के किए जाने का दावा किया गया है, राज्य सरकार के सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी को प्रवेश और निरीक्षण अनुज्ञात करने हेतु अपेक्षा करने की शक्ति होगी; (घ) अनुदान का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आवेदकों के लेखाओं की संपरीक्षा करने की शक्ति होगी; (ङ) किसी आवेदक से, उसकी ओर से की गई किसी चूक या किसी सारवान जानकारी के छिपाए जाने की दशा में, समिति को मंजूर अनुदान का, उस पर प्रोद्भूत ब्याज के साथ एक मुश्त प्रतिदाय करने हेतु अपेक्षा करने की और उसे अधिनियम के अधीन अभियोजित करने की शक्ति होगी; (च) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी आवेदक से शोध्य रकम वसूल करने की शक्ति होगी; (छ) किसी आवेदक या आवेदकों के किसी वर्ग से अनुदान का उचित उपयोग उपदर्शित करते हुए, एक कालिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षा करने की शक्ति होगी; (ज) सारवान् विशिष्टियों में तात्विक असंगतता या गलती होने के कारण उसके समक्ष प्रस्तुत आवेदन को नामंजूर करने की शक्ति होगी;

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	(झ) किसी आवेदक को उसकी वित्तीय स्थिति और किए जाने वाले क्रियाकलाप की प्रकृति की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि उपलब्ध वित्तीय सहायता का दुरूपयोग नहीं होगा, अनुदान द्वारा न्यूनतम वित्तीय सहायता की सिफारिश करने की शक्ति होगी;
	(ञ) ऐसे फायदाप्रद और सुरक्षित सेक्टरों की पहचान करने, जिनमें निधि में से विनिधान किए जा सकें और तद्नुसार उनकी सिफारिशें करने की शक्ति होगी;
	(ट) किसी आवेदक के उपभोक्ता कल्याण संबंधी क्रियाकलापों में लगे रहने की अवधि के लिए अपेक्षित शर्तों को शिथिल करने की शक्ति होगी;
	(ठ) निधि के प्रबंध और प्रशासन के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाने की शक्ति होगी।
(7) उपभोक्ता कल्याण निधि से अनुदान के लिए सभी आवेदन, आवेदक द्वारा सदस्य सचिव को किए जाएंगे, लेकिन समिति किसी आवेदन पर तब तक विचार नहीं करेगी जब तक सदस्य सचिव सारभूत ब्यौरों की जाँच न कर ले और विचार करने के पश्चात् अनुशंसा न दे दे।	(7) समिति किसी आवेदन पर तब तक विचार नहीं करेगी, जब तक सदस्य सचिव द्वारा, तद्नुसार उसके सारवान् ब्यौरों की जाँच न कर ली जाए और वह उस पर अपनी सिफारिश न दे दें।
(8) समिति को शक्तियाँ होंगी–	(8) समिति निम्नलिखित के संबंध में सिफारिशें करेगी:–
(क) किसी आवदेक को अपने समक्ष,सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष ऐसी पुस्तकों, लेखाओं, दस्तावेजों, लिखतों या आवेदक की अभिरक्षा या नियंत्रण में माल को जैसा आवश्यक हो आवेदन के उचित मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी।	(क) किसी आवेदक को अनुदान उपलब्ध करवाने के लिए;
(ख) किसी आवेदक को परिसर, जिसमें उपभोक्ता कल्याण के लिए क्रियाकलापों को होने का दावा किया गया है और किया जाना बताया गया है, का सम्यक् रूप से केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, यथास्थिति सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी को प्रवेश और निरीक्षण के लिए अनुमति देने की अपेक्षा कर सकेगी;	(ख) निधि में उपलब्ध धनराशि के विनिधान के लिए;
(ग) आवेदकों के संपरीक्षित लेखाओं को अनुदान के उचित प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए ले सकेगी;	(ग) किसी उपभोक्ता विवाद में किसी परिवादी या परिवादियों के किसी वर्ग द्वारा उपगत विधिक व्ययों की उसके अन्तिम न्यायनिर्णयन के पश्चात्, प्रतिपूर्ति के लिए अनुदान (चयनात्मकता के आधार पर) उपलब्ध करवाने के लिए;
(घ) किसी आवेदक से किसी चूक के या उसके भाग पर किसी सारभूत सूचना के छिपाने की दशा में, समिति को मंजूर अनुदान के एक मुश्त प्रतिदाय के लिए अपेक्षा कर सकेगी और इस अधिनियम के अधीन अभियोजित कर सकेगी;	(घ) ऐसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए, जिनकी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् द्वारा सिफारिश की जाए, अनुदान उपलब्ध करवाने के लिए (जो समिति द्वारा समुचित समझा जाए);
(ङ) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में किसी आवेदक से शोध्य रकम वसूल कर सकेगी;	(ङ) माल और सेवा कर के प्रचार/उपभोक्ता जागरूकता के लिए, प्रत्येक वर्ष निधि में जमा की पचास प्रतिशत तक धनराशि उपलब्ध करवाने के लिए परन्तु उपभोक्ता मामले विभाग के उपभोक्ता कल्याण संबंधी क्रियाकलापों के लिए निधियों की उपलब्धता पच्चीस करोड़ रुपए प्रति वर्ष से कम नहीं होगी।

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(च) किसी आवेदक या आवेदकों के वर्ग से आवर्तिक रिपोर्ट, जो अनुदान के उचित प्रयोग को दर्शित करती हो, को प्रस्तुत करने को कह सकेगी; (छ) तात्थिक असंगतताओं या सारभूत विशिष्टियों में त्रुटि होने पर उसके समक्ष प्रस्तुत किसी आवेदन को खारिज कर सकेगी; (ज) किसी आवेदक को अनुदान के द्वारा उसकी वित्तीय प्रास्थिति और उसके काम के अधीन क्रियाकलापों की प्रकृति की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए, यह सुनिश्चित करने के पश्चात् प्रदत्त वित्तीय सहायता का दुरुपयोग नहीं होगा, न्यूनतम वित्तीय सहायता देने की सिफारिश कर सकेगी; (झ) लाभकारी और सुरक्षित सेक्टरों, जहाँ उपभोक्ता कल्याण निधि का विनिधान किया जाना है, को पहचान कर तद्नुसार सिफारिश करेगी; (ञ) किसी आवेदक के उपभोक्त कल्याण क्रियाकलापों की अवधि के लिए अपेक्षित दशाओं को शिथिल कर सकेगी; (ट) उपभोक्ता कल्याण निधि के प्रबंधन, प्रशासन और संपरीक्षा के लिए दिशानिर्देश बना सकेगी। 9. केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् और भारतीय मानक ब्यूरो, माल और सेवाकर परिषद् को उपभोक्ता कल्याण निधि से होने वाले व्यय के प्रयोजन के लिए परियोजनाओं या प्रस्तावों पर विचार करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देशों की सिफारिश कर सकेगी।	स्पष्टीकरण–इस नियम के प्रयोजनों के लिए,– (क) 'आवेदक' से निम्नलिखित अभिप्रेत है,– (i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार; (ii) संसद या किसी राज्य के विधान मण्डल या संघ राज्यक्षेत्र के किसी अधिनियम के अधीन गठित विनियामक प्राधिकरण या स्वशासी निकाय; (iii) कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत, कम से कम तीन वर्ष की अवधि से उपभोक्ता कल्याण संबंधित क्रियाकलापों में लगा हुआ कोई अभिकरण या संगठन; (iv) ग्राम या मण्डल या समिति या उपभोक्ताओं, विशेषकर स्त्रियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, की समिति स्तर की सहकारी सोसाइटी; (v) संसद् या राज्य विधान मण्डल या संघ राज्यक्षेत्र के किसी अधिनियम द्वारा भारत में निगमित ऐसी कोई शैक्षिक या अनुसंधान संस्था या संसद् के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के अधीन समझा गया विश्वविद्यालय के रूप में घोषित अन्य ऐसी शैक्षिक संस्थाएं और जिनमें कम से कम तीन वर्ष से उपभोक्ता संबंधी अध्ययन उसके पाठ्यक्रम के रूप में चल रहा हो; और (vi) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन यथा परिभाषित कोई शिकायतकर्ता, जिसने, उसके द्वारा किसी उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरण में संस्थित किसी मामले में उसके द्वारा उपगत विधिक व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन किया है। (ख) 'आवेदन' से आवेदन का ऐसा प्ररुप अभिप्रेत है, जो स्थायी समिति द्वारा, समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए;

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	(ग) 'केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद्' से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन उपभोक्ताओं के अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए स्थापित केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् अभिप्रेत है; (घ) 'समिति' से उपनियम (4) के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है; (ङ) 'उपभोक्ता' का वही अर्थ होगा, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) में उसका है और इसके अन्तर्गत ऐसे माल के, जिस पर केन्द्रीय कर संदत्त किया गया है, उपभोक्ता भी हैं; (च) 'निधि' से उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 57 के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित उपभोक्ता कल्याण निधि अभिप्रेत है; (छ) 'उचित अधिकारी' से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसे अधिनियम के अधीन ऐसा आदेश करने की शक्ति है कि सम्पूर्ण राज्य कर या उसका कोई भाग प्रतिदेय होगा।

प्ररूप जीएसटी आईटीसी–03 का संशोधन

5. "मूल नियम" के प्ररूप जीएसटी आईटीसी–03 में, प्रविष्टि 5 (ङ) के पश्चात् "**" के सामने अनुदेश के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

**पूँजी माल का मूल्य, बीजक की तारीख से प्रति मास 1/60वां या उसके भाग को घटाकर आया बीजक मूल्य होगा।

नये प्ररूप का रखा जाना

6. "मूल नियम" के प्ररूप जीएसटीआर–8 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा,अर्थात्:–

प्ररूप जीएसटीआर–10

(नियम 81 देखें)

अन्तिम विवरणी

1.	जीएसटीआईएन	
2.	विधिक नाम	
3.	व्यापार का नाम, यदि कोई हो	
4.	भावी पत्राचार के लिए पता	
5.	रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की प्रभावी तारीख (कारबार बंद करने की तारीख या वह तारीख जिससे रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया गया है)	
6.	रद्दकरण आदेश की संदर्भ संख्या	
7.	रद्दकरण आदेश की तारीख	

8. स्टॉक में धारित इनपुट, स्टॉक में धारित अर्धपरिरुपित या परिरुपित माल में अंतर्विष्ट इनपुट और पूँजीमाल/संयंत्र और मशीनरी, जिस पर कर प्रत्यय आरक्षित किया जाना और सरकार को वापस संदत्त करना अपेक्षित है, के ब्यौरे

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	बीजक/प्रवेश पत्र		स्टॉक में धारित इनपुट, स्टॉक में धारित अर्धपरिरूपित या परिरूपित मॉल में अंतर्विष्ट इनपुट और पूँजीमॉल/संयंत्र और मशीनरी का विवरण	यूनिट क्वांटिटी कोड (यूक्यूसी)	मात्रा	मूल्य (नामेनोट/जमापत्र द्वारा यथा समायोजित)	संदेय इनपुट कर प्रत्यय/कर (जो भी उच्चतर हो) (₹)			
		सं0	तारीख					केन्द्रीय कर	राज्य कर	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8(क)	स्टॉक में धारित इनपुट (जहाँ बीजक उपलब्ध हो)										
8(ख)	स्टॉक में धारित अर्धपरिरूपित या परिरूपित मॉल में अंतर्विष्ट इनपुट (जहाँ बीजक उपलब्ध हो)										
8(ग)	स्टॉक में धारित पूँजीमाल/संयंत्र और मशीनरी										
8(घ)	स्टॉक में धारित इनपुट या स्टॉक में धारित अर्धपरिरूपित या परिरूपित माल में यथाअंतर्विष्ट इनपुट (जहाँ बीजक उपलबध नहीं है)										

9. संदेय और संदत्त कर की रकम (सारणी 8 पर आधारित)

क्र0 सं0	विवरण	आईटीसी विपर्यय/संदेय कर	रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन के साथ संदत्त कर (जीएसटीआरईजी–16)	संदेय अतिशेष कर (3–4)	इलेक्ट्रानिक नकद बही में विकलन के माध्यम से संदत्त रकम	विकलन के माध्यम से इलेक्ट्रानिक प्रत्यय बही में संदत्त रकम			
						केन्द्रीय कर	राज्य कर	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	केन्द्रीय कर								
2.	राज्य कर								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	एकीकृत कर								
4.	उपकर								

10. संदेय और संदत्त ब्याज, विलम्ब फीस

विवरण	संदेय रकम	संदत्त रकम
1	2	3
(I) ब्याज		
(क) एकीकृत कर के मद्दे		
(ख) केन्द्रीय कर के मद्दे		
(ग) राज्य कर के मद्दे		
(घ) उपकर के मद्दे		
(II) विलम्ब फीस		
(क) केन्द्रीय कर		
(ख) राज्य कर		

11. सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषित करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर_____

नाम _____

पदनाम/प्रास्थिति _____

तारीख–दिन/मास/वर्ष

अनुदेश :

1. यह प्ररूप ऐसे करदाताओं या ऐसे व्यक्तियों द्वारा भरा जाना अपेक्षित नहीं है, जो निम्नलिखित रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं:–
   (i) इनपुट सेवा वितरक;
   (ii) धारा 10 के अधीन कर संदाय करने वाले व्यक्ति;
   (iii) अनिवासी कराधेय व्यक्ति;
   (iv) ऐसे व्यक्ति, जिनसे धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती की अपेक्षा है; और
   (v) ऐसे व्यक्ति, जिनसे धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर के संग्रहण की अपेक्षा है।
2. इनपुट, अर्धपरिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुट के स्टॉक के और ऐसे पूँजीमाल/संयंत्र और मशीनरी के, जिस पर इनपुट कर प्रत्यय का कर उपभोग किया गया है, स्टॉक के ब्यौरे।

3. क्रम सं0 8 के स्टॉक के ब्यौरे उपलब्ध करवाते समय निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है:–

(i) जहाँ स्टॉक में धारित इनपुट या अर्धपरिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनुपट से संबंधित कर बीजक उपलब्ध नहीं है, वहाँ रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, मॉल की विद्यमान बाजार कीमत पर आधारित नियम 44 के उपनियम (3) के अधीन रकम का प्राक्कलन करेगा;

(ii) ऐसे पूँजीमाल/संयंत्र और मशीनरी की दशा में मूल्य पाँच वर्ष की उपयोगी अवधि के लिए बीजक/क्रय की तारीख से 1/60 प्रतिमास या उसके भाग को घटाकर आया बीजक मूल्य होगा।

4. सारणी के क्रम संख्या 8 [प्रविष्टि 8 (घ) के सामने] पर नियम 44 के उपनियम (3) के अनुसार दिए गए ब्यौरे किसी व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखपाल द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित किए जाएंगे। प्रमाण–पत्र की प्रति को ब्यौरे फाइल करते समय अपलोड किया जाएगा।";

प्ररूप जीएसटी डीआरसी–07 में संशोधन

7. "मूल नियम" के प्ररूप जीएसटी डीआरसी–07 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

प्ररूप जीएसटी डीआरसी–07

[नियम 142(5) देखें]

आदेश का सार

1. आदेश के ब्यौरे–
(क) आदेश सं0 (ख) आदेश की तारीख (ग) कर अवधि–

2. अंतर्वलित विवाद्यक–<<नीचे देखें>>
वर्गीकरण, मूल्यांकन, कर की दर, व्यापारावर्त का अधिक्रमण, आईटीसी दावे का आधिक्य, निर्मोचित प्रतिदाय का आधिक्य, प्रदाय का स्थान, अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

3. मालों/सेवाओं का विवरण–

क्र0 सं0	एचएसएन	विवरण

4. मांग के ब्यौरे

(रकम ₹ में)

क्र0 सं0	कर की दर	व्यापारावर्त	प्रदाय का स्थान	कार्य	कर/उपकर	ब्याज	शास्ति	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम";

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,

सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 414/2018/4(120)/XXVII(8)/2018/CT-21**, dated May 10, 2018 for general information.

NOTIFICATION

May 10, 2018

No. 414/2018/4(120)/XXVII(8)/2018/CT-21--In exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (Act no. 01 of 1904) (as applicable in the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to make the following rules in the view to further amend the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:--

The Uttarakhand Goods and Services Tax (Fourth Amendment) Rules, 2018

Short title and Commencement

1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Goods and Services Tax (Fourth Amendment) Rules, 2018

(2) They shall come into force from the 18th day of April, 2018.

Amendment of Rule 26

2. In rule 26 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the Principal Rules), in sub-rule (1), for the word "Board" the word "Commissioner" shall be substituted.

Amendment of Rule 89

3. In rule 89 of the "Principal Rules", for sub-rule (5) set out in column-1, the following sub-rule set out in column-2 shall be substituted; namely :--

Column-1 *Existing Rule*	**Column-2** *Rule hereby substituted*
89(5) In the case of refund on account of inverted duty structure, refund of input tax credit shall be granted as per the following formula--	89(5) In the case of refund on account of inverted duty structure, refund of input tax credit shall be granted as per the following formula--
Maximum Refund Amount={(Turnover of inverted rated supply of goods)×Net ITC÷ Adjusted Total Turnover}- tax payable on such inverted rated supply of goods.	Maximum Refund Amount={(Turnover of inverted rated supply of goods and services)×Net ITC÷ Adjusted Total Turnover} - tax payable on such inverted rated supply of goods and services.
Explanation—For the purposes of this sub rule, the expressions "Net ITC" and "Adjusted Total turnover" shall have the same meanings as signed to them in sub-rule (4)	Explanation—For the purposes of this sub rule, the expressions – (a) "Net ITC" shall mean input tax credit availed on inputs during the relevant period other than the input tax credit availed for which refund is claimed under sub-rules (4A) or (4B) or both; and (b) "Adjusted Total turnover" shall have the same meaning as assigned to it in sub-rule (4)

Amendment of Rule 97

4. In the "Principal Rules", the existing rule 97 as set out in column-1, the rule as set out in column-2 shall be substituted; namely :–

Column-1 *Existing Rule*	Column-2 *Rule hereby substituted*
97. **Consumer Welfare Fund**—(1) All credits to the Consumer Welfare Fund shall be made under sub-rule(5) of rule 92.	97. **Consumer Welfare Fund**—(1) All amounts of state tax and income from investment along with other monies specified section 57 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (6 of 2017) shall be credited to the Fund: Provided that an amount equivalent to fifty percent of the amount of integrated tax determined under sub-section (5) of section 54 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017, shall be deposited in the Fund.
(2) Any amount, having been credited to the Fund, ordered or directed as payable to any claimant by orders of the proper officer, appellate authority or Appellate Tribunal or court, shall be paid from the Fund.	(2) Where any amount, having been credited to the Fund, is ordered or directed to be paid to any claimant by the proper officer, appellate authority or court, the same shall be paid from the Fund.
(3) Any utilisation of amount from the Consumer Welfare Fund under sub-section (1) of section 58 shall be made by debiting the Consumer Welfare Fund account and crediting the account to which the amount is transferred for utilisation.	(3) Accounts of the Fund maintained by the Central Government shall be subject to audit by the Comptroller and Auditor General of India.
(4) The Government shall, by an order, constitute a Standing Committee with a Chairman, a Vice-chairman, a Member Secretary and such other Members as it may deem fit and the Committee shall make recommendations for proper utilisation of the money credited to the Consumer Welfare Fund for welfare of the consumers.	(4) The Government shall, by an order, constitute a Standing Committee (hereinafter referred to as the 'Committee') with a Chairman, A Vice-Chairman, a Member Secretary and such other members as it may deem fit and the Committee shall make recommendations for proper utilisation of the money credited to the Fund for welfare of the consumers.
(5) The Committee shall meet as and when necessary, but not less than once in three months.	(5) (a) The Committee shall meet as and when necessary, generally four times in a year; (b) the Committee shall meet at such time and place as the Chairman, or in his absence, the Vice-Chairman of the Committee may deem fit; (c) the meeting of the Committee shall be presided over by the Chairman, or in his absence, by the Vice-Chairman; (d) the meeting of the Committee shall be called, after giving at least ten days' notice in writing to every member; (e) the notice of the meeting of the Committee shall specify the place, date and hour of the meeting and shall contain statement of business to be transacted thereat; (f) no proceeding of the Committee shall be valid, unless it is presided over by the Chairman or Vice-Chairman and attended by a minimum of three other members

Column-1 *Existing Rule*	Column-2 *Rule hereby substituted*
(6) Any agency or organization engaged in consumer welfare activities for a period of three years registered under the provisions of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or under any other law for the time being in force, including village or mandal or samiti level co-operatives of consumers especially Women, Scheduled Castes and Scheduled Tribes or any industry as defined in the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) recommended by the Bureau of Indian Standards to be engaged for a period of five years in viable and useful research activity which has made, or is likely to make, significant contribution in formulation of standard mark of the products of mass consumption, the Central Government or the State Government may make an application for a grant from the Consumer Welfare Fund; Provided that a consumer may make application for reimbursement of legal expenses incurred by him as a complainant in a consumer dispute, after its final adjudication.	(6) The Committee shall have powers-- (a) to require any applicant to get registered with any authority as the State Government may specify; (b) to require any applicant to produce before it, or before a duly authorized officer of the State Government, such books, accounts, documents, instruments or commodities in custody and control of the applicant as may be necessary for proper evaluation of the application; (c) to require any applicant to allow entry and inspection of any premises, from which activities claimed to be for the welfare of consumers are stated to be carried on, to a duly authorized officer of the State Government; (d) to get the accounts of the applicants audited, for ensuring proper utilization of the grant; (e) to require any applicant, in case of any default, or suppression of material information on his part, to refund in lump-sum along with accrued interest, the sanctioned grant to the Committee and to be subject to prosecution under the Act; (f) to recover any sum due from any applicant in accordance with the provisions of the Act; (g) to require any applicant, or class of applicants to submit a periodical report, indicating proper utilisation of the grant; (h) to reject an application placed before it on account of factual inconsistency, or inaccuracy in material particulars; (I) to recommend minimum financial assistance, by way of grant to an applicant, having regard to his financial status and importance and utility of the nature of activity under pursuit, after ensuring that the financial assistance provided shall not be misutilized; (j) to identify beneficial and safe sectors, where investments out of Fund may be made and make recommendations, accordingly; (k) to relax the conditions required for the period of engagement in consumer welfare activities of an applicant; (l) to make guidelines for the management and administration of the Fund.
(7) All applications for grant from the Consumer Welfare Fund shall be made by the applicant Member Secretary, but the Committee shall not consider an application, unless it has been inquired into in material details and recommended for consideration accordingly, by the Member Secretary.	(7) The Committee shall not consider an application, unless it has been inquired into, in material details and recommended for consideration accordingly, by the Member Secretary.

Column-1 *Existing Rule*	Column-2 *Rule hereby substituted*
(8) The Committee shall have powers--	(8) The Committee shall make recommendations--
(a) to require any applicant to produce before it, or before a duly authorised Officer of the Government such books, accounts, documents, instruments or commodities in custody and control of the applicant, as may be necessary for proper evaluation of the application;	(a) for making available grants to any applicant;
(b) to require any applicant to allow entry and inspection of any premises, from which activities claimed to be fore the welfare of consumers are stated to be carried on, to a duly authorized officer of the Central Government or as the case may be, State Government;	(b) for investment of the money available in the Fund;
(c) to get the accounts of the applicants audited, for ensuring proper utilization of the grant;	(c) for making available grants (on selective basis) for reimbursing legal expenses incurred by a complainant or class of complainants in a consumer dispute, after its final adjudication;
(d) to require any applicant, in case of any default or suppression of material information on his part, to refund in lump-sum, the sanctioned grant to the Committee and to be subject to prosecution under the Act;	(d) for making available grants for any other purpose recommended by he Central Consumer Protection Council (as may be considered appropriate by the Committee);
(e) to recover any sum due from any applicant in accordance with the provisions of the Act;	(e) for making available up to 50% of the funds credited to the Fund each year, for publicity/consumer awareness on GST, provided the availability of funds for consumer welfare activities of the Department of Consumer Affairs is not less than twenty five crore rupees per annum.
(f) to require any applicant, or class of applicants to submit a periodical report, indicating proper utilization of the grant;	*Explanation*:--For the purposes of this rule,
(g) to reject an application placed before it on account of factual inconsistency, or inaccuracy in material particulars;	(a) 'applicant' means,
(h) to recommend minimum financial assistance, by way of grant to an applicant, having regard to his financial status and importance and utility of nature of activity under pursuit, after ensuring that the financial assistance provided shall not be misutilised;	(i) the Central Government or State Government;
(i) to identify beneficial and safe sectors, where investments out of Consumer Welfare Fund may be made and make recommendations, accordingly;	(ii) regulatory authorities or autonomous bodies constituted under an Act of Parliament or the Legislature of a State or union Territory;
(j) to relax the conditions required for the period of engagement in consumer welfare activities of an applicant;	(iii) any agency or organization engaged in consumer welfare activities for a minimum period of three years, registered under the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or under any other law for the time being in force;
(k) to make guidelines for the management, administration and audit of the Consumer Welfare Fund.	(iv) village or mandal or samiti or samiti level co-operatives of consumers especially Women, Scheduled Castes and Scheduled Tribes;
9. The Central Consumer Protection Council and the Bureau of Indian Standards shall recommend to the Goods and Services Tax Council, the broad guidelines for considering the projects or proposals for the purpose of incurring expenditure from the Consumer Welfare Fund.	(v) an educational or research institution incorporated by an Act of Parliament or the Legislature of a State or Union Territory in India or other educational institutions established by an Act of Parliament or declared to be deemed as a University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) and which has consumers studies as part of its curriculum for a minimum period of three years, and

Column-1 *Existing Rule*	Column-2 *Rule hereby substituted*
	(vi) a complainant as defined under clause (b) of sub-section (1) of section 2 of the Consumer Protection Act, 1986(68 of 1986), who applies for reimbursement of legal expenses incurred by him in a case instituted by him in a consumer dispute redressal agency. (b) 'application' means an application in the form as specified by the Standing Committee from time to time; (c) 'Central Consumer Protection Council' means the Central Consumer Protection Council, established under sub-section (1) of section 4 of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986), for promotion and protection of rights of consumers; (d) 'Committee' means the Committee constituted under sub-rule (4); (e) 'Consumer' has the same meaning as assigned to it in clause (d) of sub-section (1) of section 2 of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986) and includes consumer of goods on which central tax has been paid; (f) 'Fund' means the Consumer Welfare Fund established by the State Government under section 57 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017); (g) 'Proper Officer' means the officer having the power under the Act to make an order that the whole or any part of the State Tax is refundable;

Amendment of Form GST ITC-03

5. In **Form GST ITC-03** of the "Principal Rules", after entry 3(e), for the instruction against "**", the following shall be substituted; namely :--

"** The value of capital goods shall be the invoice value reduced by 1/60th per month or part thereof from the date of invoice."

Insertion of new Form

6. After **FORM GSTR-8** of the "Principal Rules", the following FORM shall be inserted, namely:--

"FORM GSTR-10"

(See rule 81)

Final Return

1.	GSTIN	
2.	Legal Name	
3.	Trade Name, if any	
4.	Address for future correspondence	
5.	Effective date of cancellation of registration (Date of closure of business or the date from which registration is to be cancelled)	
6.	Reference number of cancellation order	
7.	Date of cancellation order	

8. Details of inputs held in stock, inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock and capital goods/plant and machinery on which input tax credit is required to be reversed and paid back to Government.

Sr. No.	GSTIN	Invoice/ Bill of Entry		Description of inputs held in stock, inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock and capital goods/plant and machinery	Unit Quantity Code (UQC)	Qty	Value (As adjusted by debit/credit note)	Input tax credit/Tax payable (whichever is higher) (₹)			
		No.	date					Central Tax	State tax	Integrated tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8(a)	Inputs held in stock (where invoice is available)										
8(b)	Inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock (where invoice is available)										
8(c)	Capital goods/plant and machinery held in stock										
8(d)	Inputs held in stock or inputs as contained in semi-finished/finished goods held in stock (where invoice is not available)										

9. amount of tax payable and paid (based on Table 8)

Sr. No.	Description	ITC reversible/ Tax payable	Tax paid along with application for cancellation of registration (GST REG-16)	Balance tax payable (3-4)	Amount paid through debit to electronic cash ledger	Amount paid through debit to electronic credit ledger			
						Central Tax	State Tax	Integrated Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Central Tax								
2.	State Tax								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Integrated Tax								
4.	Cess								

10. Interest, late fee payable and paid :

Description	Amount payable	Amount Paid
1	2	3
(I)Interest on account of		
(a) Integrated Tax		
(b) Central Tax		
(c) State Tax		
(d) Cess		
(II) Late fee		
(a) Central Tax		
(b) State Tax		

11. **Verification :**

I, hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed there from.

Signature of authorized signatory_____

Name_____

Designation/Status_____

Date- dd/mm/yyyy

Instructions :

1. This form is not required to be filed by taxpayers or persons, who are registered as:--
   (i) Input Service Distributors.
   (ii) Persons paying tax under section 10;
   (iii) Non-resident taxable person;
   (iv) Persons required to deduct tax at source under section 51; and
   (v) Persons required to collect tax at source under section 52.
2. Details of stock of inputs, inputs contained in semi-finished or finished goods and stock of capital goods/ plant and machinery on which input tax credit has been availed.

3. Following points need to be taken care of while providing details of stock at S. No. 8 :

   (i) where the tax invoices related to the inputs held in stock or inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock are not available, the registered person shall estimate the amount under sub-rule (3) of rule 44 based on prevailing market price of the goods;

   (ii) in case of capital goods/plant and machiner, the value should be the invoice value reduced by 1/60th per month or part thereof from the date of invoice/purchase taking useful life as five years.

4. The details furnished in accordance with sub-rule(3) of rule 44 in the Table at Sl. No. 8 [against entry 8 (d)] shall be duly certified by a practicing chartered accountant or cost accountant. Copy of the certificate shall be uploaded while filing the details";

Amendment of FORM GST DRC-07

7. For **FORM GST DRC-07** of the "Principal Rules", the following FORM shall be inserted, namely:--

"FORM GST DRC-07"

[See rule 142 (5)]

Summary of the order

1. Details of order--
   (a) Order No. (b) Order date (c) Tax period

2. Issues involved<< drop down >> classification, valuation, rate of tax, suppression of turnover, excess ITC claimed, excess refund released, place of supply, others (specify)

3. Description of goods/services--

Sr. No.	HSN	Description

4. Details of demand

(Amount in ₹)

Sr. No.	Tax Rate	Turnover	Place of supply	Act	Tax/Cess	Interest	Penalty	Others
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Signature

Name

Designation

By Order,

AMIT SINGH NEGI,

Secretary.

(विधि–अनुभाग)

21 मई, 2018 ई0

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0), राज्य कर,

देहरादून/हरिद्वार/रुड़की/रुद्रपुर/हल्द्वानी सम्भाग।

पत्रांक 869/रा0कर आयु0 उत्तरा0/रा0क0मु0/विधि–अनुभाग/18–19/देहरादून–आयुक्त, राज्य कर द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 859/सी0एस0टी0यू0के0/जी0एस0टी0–विधि/2018–19/CT–23, दिनांक 19 मई, 2018 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या 6237(i)/सी0एस0टी0यू0के0/जी0एस0टी0–विधि/2017–18, दिनांक 23 मार्च, 2018 में संशोधन किया जाना अधिसूचित किया गया है।

उपरोक्त अधिसूचना की प्रति इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड

(राज्य कर विभाग)

अधिसूचना

19 मई, 2018 ई0

संख्या 859/सी0एस0टी0यू0के0/जी0एस0टी0–विधि/2018–19/CT–23–उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम (5) सपठित उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 168 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, आयुक्त, एतद्द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड की अधिसूचना संख्या 6237(i)/सी0एस0टी0यू0के0/जी0एस0टी0–विधि/2017–18, दिनांक 23 मार्च, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती हूँ, अर्थात्:–

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम संख्या 1 के स्तम्भ (3) में, "20 मई, 2018" अंकों और शब्द के स्थान पर, "22 मई, 2018" अंक और शब्द रखे जायेंगे।

सौजन्या,

आयुक्त, राज्य कर,

उत्तराखण्ड।

NOTIFICATION

May 19, 2018

No. 859/CSTUK/GST-Vidhi Section/2018-19/CT-23–In exercise of the powers conferred by section 168 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) read with sub-rule (5) of rule 61 of the "Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, I, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby makes

the following amendment in the notification of the State Tax Department No. 6237(i)/CSTUK/GST-Vidhi Section/ 2017-18, dated 23rd March, 2018 namely:--

In the said notification, in the Table, against serial number 1, in column (3), for the figures, letters and word "20th May, 2018", the figures, letters and word "22nd May, 2018" shall be substituted.

SOWJANYA,

Commissioner State Tax,

Uttarakhand.

पीयूष कुमार,

अपर आयुक्त (वि0वे0), राज्य कर,

मुख्यालय, देहरादून।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 22 हिन्दी गजट/314–भाग 1–क–2018 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 02 जून 2018 ई0 (ज्येष्ठ 12, 1940 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगर पंचायत, सतपुली, पौड़ी गढ़वाल

विज्ञप्ति

18 दिसम्बर, 2017 ई0

पत्रांक 25/न0प0सतपुली/उपविधि/2017–2018–नगर पंचायत, सतपुली, पौड़ी गढ़वाल सीमान्तर्गत नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 सूची–एक के खण्ड (घ) के उपखण्ड क एवं ख, खण्ड झ के घ के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 273 एवं 274 के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन एवं निस्तारण हेतु एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियमावली, 2000 के सुचारु क्रियान्वयन हेतु नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) उपविधि, 2016 बनाई गई है, जो अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत प्रकाशित की जाती है।

यह उपविधि गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) उपविधि, 2016

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भः–

(क) यह उपविधि नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) उपविधि, 2016 कहलायेगी।

(ख) यह उपविधि नगर पंचायत, सतपुली, पौड़ी गढ़वाल के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रभावी होगी।

(ग) यह उपविधि सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

2 परिभाषाएँ :

संदर्भ के अन्यथा प्रतिकूल न होने पर–

1. अधिनियम का तात्पर्य, उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है

(2) "नगरीय ठोस अपशिष्ट" के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय एवं चिकित्सकीय अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित को सम्मिलित करते हुए, ठोस या अर्द्ध ठोस के रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यक तथा आवासीय अपशिष्ट आता हैं।

(3) "उपविधि" से तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम, 1916 के उपबन्धों के अधीन बनाई गई उपविधि से है।

(4) "नगरपालिका" से तात्पर्य, नगर पंचायत, सतपुली से है।

(5) "अधिशासी अधिकारी" से तात्पर्य, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, सतपुली से है।

(6) "सफाई निरीक्षक" से तात्पर्य, पंचायत, सतपुली में शासन द्वारा तैनात सफाई निरीक्षक से है, ऐसे अधिकारी के उपलब्ध न होने की स्थिति में नगरपालिका के उस अधिकारी/कर्मचारी से हैं, जो उस पद के कार्यभार के लिए शासन या अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो।

(7) "निरीक्षण अधिकारी" का तात्पर्य, अधिशासी अधिकारी के अधीन कार्यरत नगर स्वास्थ्य अधिकारी, सफाई निरीक्षक अथवा ऐसे अधिकारी/कर्मचारी से है, जिन्हें समय–समय पर अधिशासी अधिकारी के आदेशानुसार निरीक्षण के लिए अधिकृत किया गया हो।

(8) "जीव अनाशित अपशिष्ट" का तात्पर्य, ऐसे कूड़े या कचरा सामग्री से है, जो जीव नाशित कूड़ा कचरा नहीं है और इसके अन्तर्गत प्लॉस्टिक भी है।

(9) "मिश्रित कूड़े" से तात्पर्य, जीव अनाशित अपशिष्ट एवं जीव नाशित कूड़े के मिश्रण से है।

(10) "पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट (Recyclable waste)" से तात्पर्य, ऐसे अपशिष्ट से है, जो दोबारा किसी भी प्रकार सीधे अथवा विधि से परिवर्तित करके, उसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है। जैसे प्लॉस्टिक, पॉलीथीन (निर्धारित माइक्रोन के अन्दर), कागज, धातु, रबड़ आदि।

(11) "संग्रहण (Collection)" से तात्पर्य, अपशिष्ट के उत्पत्ति स्थल, संग्रहण बिन्दुओं तथा किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्ट को उठाया जाना अभिप्रेत है।

(12) "कचरा खाद्द बनाने (Composting)" का तात्पर्य किसी ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया से है, जिसमें कार्बन पदार्थ का सूक्ष्म जैवीय निम्नकरण अन्तर्वलित है।

(13) "ढुलान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट" का तात्पर्य, निर्माण एवं पुनः निर्माण सम्बन्धी ऐसी समस्त सामग्री से है, जो साधारणतया निर्माण में प्रयोग की जाती हो।

(14) "व्ययन (Disposal)" से भूजल, सतही जल तथा परिवेशी वायु गुणवत्ता को प्रदूषण से बचाने हेतु आवश्यक सामग्री से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अन्तिम रूप से व्ययन, अभिप्रेत है।

(15) "भूमिभरण (Landfilling)" से भूतल, सतह जल का प्रदूषण और वायु के साथ उड़ने वाली धूल, हवा के साथ उड़ने वाला कूड़ा, बदबू, आदि खतरे, पक्षियों का खतरा, नाशी जीव/कृतक, ग्रीन हाउस गैस उत्पादन, ढाल स्तरर्जिता और कटाव के लिए सुरक्षात्मक उपकरणों के साथ डिजाइन की गई सुविधा में अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट का भूमि भरण, अभिप्रेत है।

(16) प्रयोग किए गए अन्य शब्दों, जो कि इस उपविधि में परिभाषित नहीं हैं, का अर्थ वही होगा जो 'अधिनियम' में है।

(17) "नगरपालिका प्राधिकारी (Municipal authority)" से तात्पर्य, नगर पंचायत, सतपुली द्वारा सुसंगत कानूनों के अन्तर्गत नियुक्त या गठित कोई व्यक्ति, समिति या अन्य स्थानीय निकाय अभिप्रेत है, जिसे नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन हेतु अधिकृत किया जाता है।

3. सार्वजनिक स्थानों पर उतारी गई समस्त निर्माण सामग्री को उतारने के 24 घण्टे के अन्दर हटाया जाना अनिवार्य होगा।

4. नगरपालिका/पंचायत द्वारा अपशिष्ट संग्रहण हेतु दरें निम्नानुसार हैः–

क्र0 सं0	अपशिष्ट एवं अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क (User Charges) की राशि ₹ में			
		जैविक–अजैविक कूड़ा अलग–अलग कर, सड़क तक पहुँचाने पर	मिश्रित कूड़ा सड़क तक पहुँचाने पर	जैविक–अजैविक कूड़ा घर/स्रोत पर ही अलग–अलग देने पर	जो व्यक्ति घर/स्रोत पर ही मिश्रित कूड़ा दे
1.	गरीबी रेखा से नीचे के घर	–	05	10	15
2.	कम आय वाले घर	05	10	15	20
3.	उपरोक्त के अतिरिक्त घर	10	20	25	30
4.	होटल/लॉजिंग/गेस्ट हाउस	100	200	200	250
5.	धर्मशाला	10	25	40	50
6.	बरातघर	500	800	600	1000
7.	बेकरी	100	200	125	300
8.	कार्यालय	50	75	50	100
9.	सब्जी एवं फल विक्रेता	100	200	100	300
10.	रेस्टोरेन्ट	250	400	300	500
11.	स्कूल, कॉलेज एवं आवासीय शिक्षण संस्थाएँ	100	200	200	200
12.	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम	200	400	200	500
13.	मेडिकल स्टोर	75	150	100	250
14.	दुकान	100	150	125	250
15.	वर्कशॉप/कबाड़ी	500	600	600	700
16.	गन्ने का रस/जूस विक्रेता	50	100	125	150

5. शास्ति–उपरोक्त उपविधि के किसी भाग का उल्लंघन करने पर पालिका/पंचायत अर्थदण्ड वसूल कर सकेगी, जो सेवा शुल्क की निर्धारित दरों का 10 गुना तक अधिकतम हो सकता है। उपविधि–3 के उल्लंघन पर ₹ 200 प्रति घन मी0 की दर से अर्थदण्ड वसूल किया जायेगा। निरन्तर उल्लंघन की दशा में ₹ 500 प्रति घन मी0 प्रतिदिन की दर से वसूल किया जायेगा।

ह0 (अस्पष्ट)
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, सतपुली,
पौड़ी गढ़वाल।

ह0 (अस्पष्ट)
प्रशासक,
नगर पंचायत, सतपुली,
पौड़ी गढ़वाल।

सूचना

मेरी पुत्री रिया जौहर की हाईस्कूल की मार्कशीट में मेरा नाम छाया जौहर दर्ज हो गया है। जो गलत हैं। सही नाम दीपा जौहर है और मेरे सभी अभिलेखों में मेरा नाम दीपा जौहर ही है।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है।

दीपा जौहर पत्नी लव जौहर निवासी म0नं0
798 रामनगर रूडकी, जिला हरिद्वार

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 22 हिन्दी गजट/314–भाग 8–2018 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।